18/04/22.

पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा 100/- का कोर्ट ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश कर अंतिम डिक्री पर्चा जारी करने का निवेदन किया। चूंकि दोनों पक्षों के द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया है तथा वादीगण द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पेश की जा चुकी है अतः भूमि धारक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा राजस्व ग्राम रानी का गोल के खेत ख. नं. 1 रकबा 14.7548 हैक्टेयर भूमि का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर मौखिक विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	[illegible]
1.	धर्माराम हेमाराम पि. नारणाराम जेठाराम मगाराम पि. जोराराम तेजू पत्नी जोराराम कौम जाट	1	7.3774	बा. को.	2.51	केन्द्रीय
2	रावताराम पुत्र रामाराम कौम जाट रहन SBI शाखा गुडामालानी	1	3.6887	बा. को.	1.25	दूसरा
3	जोगाराम ठाकराराम नानगाराम विमला पि. कानाराम लक्ष्मीदेवी पत्नी कानाराम कौम जाट	1	3.6887	बा. को.	1.26	[illegible]

भूमि धारक तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते है कि राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार नामान्तरण कर अलग-अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इसी प्रकार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/4/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:12:34 IST
Reason: SelfAttested

(... कुमार)
सहायक कलक्टर, गुडामालानी

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

आज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी

व इजलास श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

वादीगण

1. धर्मा पुत्र नारणा
2. हेमा पुत्र नारणा
3. मगा पुत्र जेरामा
4. भवरा पुत्र जेरामा
5. तूजू पत्नी जेरामा

जाति जाट निवासी रामजी का गोल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रावता पुत्र दामा
2. ओमा पुत्र कानाराम
3. ठाकराराम पुत्र कानाराम
4. नानगाराम पुत्र कानाराम
5. विमला पुत्री कानाराम नाबालिक वलिये सरंक्षक माता तगीदेवी पत्नी काना
6. तगी पत्नी कानाराम

जाति जाट निवासी रामजी का गोल तहसील तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

7. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :– 19 / 2019 निर्णय दिनांक :– 18/5/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई व श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा राजस्व ग्राम रामजी का गोल के खेत खसरा नम्बर 1 रकबा 14.7548 हैक्टेयर का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर माफिक विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से अंतिम ड्रिकी पारित की जाती है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	बरंग
1	धर्माराम हेमाराम पि. नारणाराम भंवराराम मगाराम पि.जेरामाराम तेजू पत्नी जेरामाराम कौम जाट	1	7.3774	बा.सो.	2.51	केसरिया
2	रावताराम पुत्र दामाराम कौम जाट रहन SBI शाखा गुड़ामालानी	1	3.6887	बा.सो.	1.25	हरा
3	ओमाराम ठाकराराम नानगाराम विमला पि. कानाराम तगीदेवी पत्नी कानाराम कौम जाट	1	3.6887	बा.सो.	1.26	आसमानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:12:34 IST
Reason: SelfAttested

भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्दे[illegible] हैं कि राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार अमल दरामद कर अलग अलग खाता नम्ब[illegible] प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपन[illegible]

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारी[illegible] 18/4/2022 को जारी की गई।

(प्रमोद कुमार)

सहायक कलक्टर

(S.D.O) गुड़ामालानी